ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली
British political system

* ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या युनाइटेड किंगडम संसदीय प्रणाली का मूल स्रोत है। अतः ब्रिटिश संसद को 'संसद-जननी' के रूप में सराहा जाता है।
* ब्रिटिश शासन प्रणाली की शुरुआत राजतंत्र से हुई, परन्तु धीरे-धीरे वह सांविधानिक राजतंत्र में परिणत हो गई। इस तरह वहाँ सार्वजनिक निर्णय की अन्तिम शक्ति जनसाधारण के प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई है,
* वह शासन-प्रणाली जिसमें शासन की यथार्थ शक्तियाँ संसद में निहित होती है। मंत्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तर-दायी होता है।
* संसदीय प्रणाली की जन्मभूमि वेस्टमिनिस्टर के नाम पर इसे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है।
* ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राजा या सम्राट सांकेतिक राज्याध्यक्ष रहे जाता है, और शासन की वास्तविक शक्तियाँ लोकप्रिय संस्थाओं जैसे कि संसद, मंत्रिमंडल या अन्य ऐसे अंगों में निहित होती है।
* ब्रिटिश सरकार को 'महारानी की सरकार' या 'महामहिमामयी की सरकार' कहा जाता है।
* ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है इसलिए ब्रिटिश संसद के किसी भी निर्णय या कानून को संविधान के विरुद्ध घोषित करने की कोई न्यायशक्ति नहीं है।
* संविधान का एक स्रोत संसदीय अधिनियम है। उदाहरण के लिए, 1911 के संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी

संसद का कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

- संविधान का दूसरा स्रोत न्यायालयों के निर्णय है।
- संविधान का तीसरा स्रोत लोक विधि के सिद्धान्त है। लोक विधि रीति-रिवाज से जुड़े हुए कानूनी सिद्धान्त है जो न्यायालयों के विचार से सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू होते हैं।
- संविधान का चौथा स्रोत संसद के नियम और रीति-रिवाज है। उदाहरण के लिए, स्वयं संसद तथा संसद-सदस्यों के विशेषाधिकारों का जन्म इसी स्रोत से हुआ है।
- अंततः संविधान की परिपाटियाँ या प्रथाएँ सांविधानिक व्यवहार का महत्वपूर्ण स्रोत है।

Pol-sc (Hons)
Part - I
Paper - II

Rama Kant Pandey
S.R.A.P. College
Bara Chakiya
B.R.A.B.U (Muz.)